न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली
पीठासीन अधिकारी : श्री वीरेन्द्रसिंह चौधरी, आर.ए.एस.

राजस्व अपील : 19/2019

RCMS Case No. 2019/00080

अपीलान्ट	बनाम	रेस्पोडेन्ट :–
दीपाराम पुत्र हकमाराम जाति गाड़ोलिया लुहार निवासी मुकनपुरा (जाणुन्दा) तहसील मारवाड़ जंक्शन		1 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार मारवाड़ जंक्शन तहसील मारवाड़ जंक्शन जिला पाली

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित :–
श्री मनोज पारवानी, विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट
श्री खीमाराम, सरकारी पैरोकार

–: निर्णय :–

दिनांक : 15.05.2019

अपीलान्ट की ओर से उनके अधिवक्ता ने यह अपील अन्तर्गत धारा 75 राज भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत प्रकरण संख्या 379/2018 में सरकार बनाम दीपाराम में तहसीलदार मारवाड़ जंक्शन द्वारा पारित आदेश दिनांक 09.04.2019 के विरूद्ध पेश की गई। अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड तलब किया गया। उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील बहस के दौरान अपील में वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि पटवारी हल्का द्वारा अपीलाण्ट के विरूद्ध राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा मुकनपुरा के खसरा नम्बर 1397 रकबा 0.0512 हैक्टेयर किस्म गै0मु0 गोचर की भूमि पर बाड़ा व झोपड़ी के रूप में सम्वत् 2075 में अतिक्रमण करना जाहिर किया तथा उक्त अतिक्रमण पश्चातवर्ती होना बताया। पटवारी हल्का की रिपोर्ट के आधार पर अपीलाण्ट के विरूद्ध तहसीलदार मारवाड़ जंक्शन द्वारा प्रकरण दर्ज कर अपीलाण्ट के नाम नोटिस जारी किया, जिसमें तहसीलदार मारवाड़ जंक्शन ने अपीलाण्ट द्वारा खसरा नम्बर 1327 पर अतिक्रमण करना अंकित किया। अपीलाण्ट नियत तारीख पेशी को अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उपस्थित हुआ। चूंकि अपीलाण्ट को खसरा नम्बर 1397 पर अतिक्रमण करने बाबत नोटिस ही जारी नहीं किया गया, इस कारण अपीलाण्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष खसरा नम्बर 1397 के सम्बन्ध में किसी प्रकार का जवाब ही प्रस्तुत नहीं किया। इसके बावजूद भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरित खसरा नम्बर 1327 के सम्बन्ध में नोटिस जारी करने के बावजूद खसरा नम्बर 1397 से अपीलाण्ट का अतिक्रमण हटाने एवं पश्चातवर्ती कब्जा मानते हुए तीन माह के सिविल कारावास से दण्डित करने के आदेश पारित किए, जो विधि विरूद्ध

अति० जिला कलेक्टर, पाली

हैं। अपीलाण्ट का प्रकरण में विवादित आराजी पर किसी प्रकार का अतिक्रमण नहीं है तथा यदि किसी प्रकार का अतिक्रमण पाया जाता है, तो अपीलाण्ट हटाने के लिए तत्पर है तथा इस हेतु अपीलाण्ट शपथ पत्र प्रस्तुत करने हेतु सहमत है। चूंकि वर्तमान में अपीलाण्ट कारवास में है, इसलिए कारवास से रिहा होने पर शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया जायेगा। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाण्ट को समुचित सुनवाई का अवसर दिये बगैर जैर अपील आदेश पारित किया, जो विधि विरूद्ध हैं। अतः अपील स्वीकार करावें एवं जैर अपील आदेश अपास्त करावें।

सरकारी पैरोकार ने अपनी बहस में कथन किया कि मौजा मुकनपुरा के खसरा नम्बर 1397 रकबा 0.0512 हैक्टेयर किस्म गै0मु0 गोचर के रूप में राजस्व रेकर्ड में दर्ज है। उक्त भूमि पर अपीलाण्ट द्वारा अतिक्रमण करने के कारण अपीलाण्ट के विरूद्ध राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत कार्यवाही करते हुए आदेश बेदखली पारित किये गये है। पटवारी हल्का की रिपोर्ट में खसरा नम्बर 1397 अंकित है तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण दर्ज किया गया है, वह भी खसरा नम्बर 1397 पर अतिक्रमण मानते हुए किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो नोटिस जारी किया गया है, उसमें सहवन से खसरा नम्बर 1397 के स्थान पर 1327 अंकित हो गया है, जो मात्र लिपिकीय त्रुटीवश हुआ है, किन्तु यह अतिक्रमण नहीं करने का आधार नहीं हो सकता हैं। अपीलाण्ट द्वारा स्वयं भी यह स्वीकार किया गया है कि खसरा नम्बर 1397 पर कब्जा किया हैं। इस भूमि पूर्व में अपीलाण्ट का आंशिक कब्जा हटाया गया था तथा स्वयं अपीलाण्ट द्वारा पूर्ण अतिक्रमण हटाने हेतु सहमति व्यक्त की गई थी, इसके बावजूद भी अपीलाण्ट द्वारा उक्त आराजी से अतिक्रमण नहीं हटाया गया। इस कारण अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधि सम्मत प्रक्रिया अपनाते हुए कार्यवाही की गई है, जिसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटी नहीं हैं। अतः अपीलाण्ट की अपील खारिज करावे।

उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया पत्रावली का अवलोकन किया गया। जैर अपील आदेश से सम्बन्धित प्रकरण की पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि ग्राम मुकनपुरा के खसरा नम्बर 1397 रकबा 0.0512 हैक्टेयर किस्म गै0मु0 गोचर की भूमि पर अपीलाण्ट द्वारा अनाधिकृत बाड़ा व झोपड़ी निर्माण करने के कारण पटवारी हल्का द्वारा तहसीलदार मारवाड़ जंक्शन के समक्ष रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिस पर तहसीलदार मारवाड जंक्शन द्वारा राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अपीलाण्ट को अतिक्रमी घोषित किया एवं जुर्माना अधिरोपित करते हुए आदेश बेदखली पारित किये तथा उक्त अतिक्रमण पश्चातवर्ती होने के कारण अपीलाण्ट को तीन माह के सिविल कारावास की सजा से दण्डित किया गया। पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो नोटिस जारी किया गया है, उसमें सहवन से खसरा नम्बर 1397 के स्थान पर 1327 हो चुका है, जबकि पत्रावली की आदेशिका, पटवारी हल्का की रिपोर्ट, मौका फर्द दिनांक 12.02.2019 आदि में खसरा नम्बर 1397 की भूमि पर अपीलाण्ट का अतिक्रमण बताया गया है। इससे यह स्पष्ट होता है कि मात्र लिपिकीय त्रुटी से नोटिस तैयार करते वक्त खसरा नम्बर 1397 के स्थान पर खसरा नम्बर 1327 अंकित हो गया है, जो

अति० जिला कलेक्टर, पाली

अतिक्रमण नहीं करने का आधार नहीं हैं। स्वयं अधिवक्ता अपीलाण्ट द्वारा यह स्वीकारोक्ति प्रकट की है कि अपीलाण्ट द्वारा जैर अपील विवादित आराजी से आंशिक अतिक्रमण हटा दिया है तथा कारावास से रिहा होने पर पूर्ण रूप से अतिक्रमण हटा देगा तथा इस सम्बन्ध में शपथ पत्र भी प्रस्तुत करने बाबत निवेदन किया। इससे यह स्पष्ट होता है कि अपीलाण्ट द्वारा जैर अपील विवादित आराजी पर अनाधिकृत रूप से कब्जा कर झोंपड़ी का निमार्ण किया गया है। चूंकि जैर अपील विवादित आराजी राजस्व रेकर्ड में सिवायचक दर्ज है तथा भूमि की किस्म गोचर हैं, जो न केवल राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 के तहत आवंटन/नियमन से प्रतिबन्धित हैं, बल्कि कॉमन लैण्ड की श्रेणी में परिभाषित है। जिसके सम्बन्ध में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा एस0एल0पी0 3109/2011 जगपालसिंह एवं अन्य बनाम पंजाब राज्य व अन्य में दिनांक 28.01.2011 को निर्णय पारित करते हुए कॉमन लैण्ड में अनाधिकृत कब्जे को खाली कराने के निर्देश दिये गये है। राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 की मंशा भी राजकीय भूमियों को अतिक्रमण से मुक्त करना ही है। हस्तगत प्रकरण में निर्विवादित रूप से गोचर की भूमि पर अतिक्रमण पाये जाने के कारण धारा 91 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत विधि सम्मत कार्यवाही करते हुए जैर अपील आदेश पारित किया गया है, जिसमें किसी प्रकार की त्रुटी नही पाई जाती है।

परिणामस्वरूप अपीलाण्ट की अपील सारहीन एवं बलहीन होने से खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण संख्या 379/2018 में सरकार बनाम दीपाराम में तहसीलदार मारवाड़ जंक्शन द्वारा पारित आदेश दिनांक 09.04.2019 को यथावत रखा जाता है। इस निर्णय की प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय को रेकर्ड लौटाया जावे।

(वीरेन्द्रसिंह चौधरी)
अति. जिला कलेक्टर, पाली
अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली

निर्णय आज दिनांक 15.05.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(वीरेन्द्रसिंह चौधरी)
अति. जिला कलेक्टर, पाली
अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली